अनुसंधान निदेशालय

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,

जोबनेर-303329 जिला-जयपुर (राजस्थान)

दूरभाष/फैक्स नं. 01425-254966(ऑ.), 9251692348(मो.)

ई-मेल : *director.research@sknau.ac.in*

Azadi Ka Amrit Mahotsav

डॉ. एम.एल.जाखड़
निदेशक अनुसंधान

No. F.04/Estt.( )/DOR/SKNAU/2022/ 679 Dated: 20.10.2022

कार्यालय आदेश

माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कार्यरत ईकाईयो पर हिस्सा आधारित खेती के लिये निम्नानुसार दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभाव से निर्धारित किये जाते है:

1. श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के अधीन विभिन्न केन्द्रो पर हिस्सा आधारित खेती बुवाई पूर्व से थ्रेसिंग तक या बुवाई के बाद (निराई–गुड़ाई से पहले) से थ्रेसिंग तक हिस्से के रूप मे करवाई जा सकती है।
2. बीज उत्पादन के लिये खेत की तैयारी से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम मे रखने के तक सभी कार्य हिस्साधारक (निविदादाता/ठेकेदार) को करने होगें। जिसमें खेत की तैयारी करना, पलेवा करना, बुवाई करना, सिंचाई करना, निराई–गुड़ाई करना, खरपतवारनाशी, कीटनाशी व फफूंदनाशी व उर्वरको का छिड़काव करना, फसल की कटाई करना, एकत्रित करके थ्रेसिंग करना इत्यादि कार्य हिस्साधारक को करने होगें।
3. खड़ी फसल मे हिस्सा लेने पर हिस्साधारक को फसल मे निराई–गुड़ाई से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम मे रखने तक के सभी कार्य करने होगें।
4. फसलो का चुनाव व बुवाई सम्बन्धित निर्णय प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करने होगें।
5. हिस्साधारक को हिस्सा छूटने के तुंरन्त बाद 1000/– प्रति हैक्टर के हिसाब से अमानत राशि जमा करवानी होगी।
6. बीज उत्पादन में काम आने वाले सभी आदान (बीज, खाद व उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशी इत्यादि) एवं मशीनरी (थ्रेसिंग सहित) केन्द्र प्रभारी द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें।
7. ट्रेक्टर से सम्बन्धित सभी कृषि कार्य केन्द्र प्रभारी द्वारा करवायें जायेगें तथा डीजल भी केन्द्र द्वारा ही दिया जायेगा।
8. फार्म पर काम आने वाले कृषि उपकरणो, ओजारो, फव्वारे के पाईपो व नोजल इत्यादि की देख–रेख की जिम्मेदारी हिस्साधारक की होगी।
9. बीज उत्पादन हेतु समस्त शष्य कियाये फार्म मेनेजर/ईन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार समय पर करनी होगी तथा श्रमिको व ओजारो की व्यवस्था हिस्साधारक को करनी होगी।
10. फार्म की चोकीदारी ,पशु–पक्षियों से रखवाली, फसलो के आस–पास की सफाई हिस्साधारक को करनी होगी।
11. उत्पादित बीज का वजन तोलते समय नमी व कचरे का 2 प्रतिशत काटा जायेगा।
12. व्यवसायी उत्पादन मे हिस्साधारक को बीज व चारे का हिस्सा दिया जायेगा।
13. थ्रेसिंग व उत्पादित बीज को गोदाम मे रखने का कार्य सक्षम अधिकारी की देखरेख मे करवाना होगा।
14. यदि हिस्साधारक कृषि कार्य समय पर या ठीक से नहीं करता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका हिस्सा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

15. हिस्साधारक को उत्पादन के रूप में बीज नहीं दिया जायेगा हिस्से की राशि उत्पादन को मे जमा कराने की तिथि से नजदीकी सरकारी मण्डी मे 7 दिन पहले एवं 7दिन बाद तक के औसत मण्डी भाव के अनुसार अदा की जायेगी। हिस्साधारक को उसके हिस्से का चारा दिया जायेगा।
16. निविदा समाप्त होने पर फार्म से लिये गये सभी सामान जमा करवाने होगें।
17. हिस्सा आधारित खेती का अनुबंध एक सीजन के लिये किया जा सकेगा।
18. कृषि कार्य करने के दौरान हिस्साधारक व उसके श्रमिको के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो वे इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगें।
19. मौसम या अन्य कारणो से अगर फसल खराब होती है तो हिस्साधारक को श्रमिको की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
20. केन्द्र प्रभारी निविदा के समय केन्द पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अन्य निविदा शर्तो को भी शामिल कर सकते है।
21. संबधित विश्वविद्यालय इकाई द्वारा हिस्साधारक को उत्पादन भण्डार मे रखने के अधिकतम एक माह मे हिस्सा राशि संबधित हिस्सादार को अदा करनी होगी।

निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान कुल सचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. समस्त निदेशक/अधिष्ठाता/क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान/परीक्षा नियंत्रक/प्रभारी अधिकारी/कार्यक्रम समन्वयक/भू–सम्पत्ति अधिकारी/परियोजना प्रभारी/आहरण वितरण अधिकारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, KVK/ ....।
5. सिमका प्रभारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
6. श्रीमान कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
7. रक्षित पत्रावली।

20.10.2022

निदेशक अनुसंधान